कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष क्रमांक–0755–2674206, 2674248 फेक्स–0755–2766315 ई–मेल–pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / व.प्रा. / संरक्षण / 5359 भोपाल, दिनांक 30-8-2014

प्रति, 11

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक / संचालक / वनमण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी), म.प्र.

विषय :– **वन एवं वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की विवेचना एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी निर्धारण करने का आदेश प्रसारित करने के संबंध में।**

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त छतरपुर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / स्टेनो / 2014 / 432 दिनांक 29.03.2014

–––00–––

विगत कई वर्षों में वन विभाग द्वारा पकड़े गये / पंजीबद्ध किये गये शिकार के प्रकरणों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों का स्तर स्थानीय निस्तार स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय माफिया स्तर तक पहुंच चुका है। वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया / अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग में पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों की जांच परिक्षेत्र सहायक स्तर पर सीमित रह जाती है। इस स्तर के अधिकारियों को वर्तमान परिदृश्य में वन्यप्राणी शिकार / महत्वपूर्ण वन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की विवेचना का बारीकियों से ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण अधिकांश प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय विभाग के पक्ष में नही हो पाते हैं एवं अपराधी दण्ड से बच जाते हैं।

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2002 में किये गये संशोधन के अनुसार धारा 51 (1) में इस अधिनियम के विरूद्ध दोषसिद्धि पर 03 वर्ष तक के कारावास या रूपये 25000 /– के अर्थदण्ड का प्रावधान है, परन्तु यदि यह अपराध अनुसूची–I अथवा अनुसूची–II के भाग–II के किसी वन्यप्राणी से संबंधित है, या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार से संबंधित है, या राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम कारावास 03 वर्ष से कम नहीं होगा तथा जो 07 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना भी रूपये 10000 /– से कम नहीं होगा, यह प्रावधान किया गया है।

किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि 03 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी रूपये 25000 /– से कम नहीं होगा।

वर्ष 2006 के संशोधन के उपरांत टाइगर रिजर्व में शिकार या उसकी सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास की अवधि 03 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 07 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी रूपये 50000 /– से कम नहीं होगा, किन्तु जो रूपये 2,00,000 /– तक का हो सकेगा। द्वितीय तथा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास की अवधि 07 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना रूपये 5,00,000 /– से कम नहीं होगा, किन्तु जो रूपये 50,00,000 /– तक हो सकेगा।

03 वर्ष से अधिक कारावास से दंडित होने वाले अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह तथ्य भी माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाकर अपराधी की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जा सकती है।

मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त द्वारा वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की सही विवेचना एवं जांच करवाने तथा अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए एक आदेश क्रमांक/स्टेनो/2014/44 दिनांक 07.03.2014 जारी किया गया है, जिसमें वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची--I अथवा अनुसूची-- II के भाग--II के वन्यप्राणियों से संबंधित अपराध प्रकरणों एवं टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में घटित समस्त शिकार के प्रकरणों में विवेचना परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा करने तथा उसका अनुश्रवण वनमण्डल अधिकारी/उप संचालक स्तर के अधिकारी से कराने संबंधी आदेश पारित किया है। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकरणों में जांच परिक्षेत्र सहायक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाना है एवं उसका अनुश्रवण उप वनमण्डल अधिकारी/सहायक संचालक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन्यप्राणी अपराध की जॉच में समस्त पहलुओं जैसे पूछताछ, जब्त सामग्री की फॉरेंसिक जांच, अपराधियों के मोबाइल काल डिटेल्स की सी.डी. एनालिसिस आदि के माध्यम से पुख्ता सबूत जुटाकर जांच पूर्ण कर प्रकरण का चालान 60 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद द्वारा वन्यप्राणी अपराधों की जांच एवं न्यायालयीन प्रकरणों में क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली गलतियाँ एवं उसके सुधार के संबंध में जो सुझाव दिये गये थे, उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संरक्षण/16/2878 दिनांक 16.05.2014 से आप सभी को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। इसकी एक प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोक्त दोनों पत्रों में दिये गये सुझावों के अनुसार वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की जॉच हेतु आवश्यक व्यवस्था अपने प्रभार के कार्यक्षेत्रों में लागू किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे वन्यप्राणी अपराधो की प्रभावी जांच किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं वन्यप्राणी अपराधी दंडित हो सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

28/8/14

(नरेन्द्र कुमार)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
मध्यप्रदेश, भोपाल